

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- 7 वां वृत्त लो०निं०वि० गोपेश्वर

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०निं०वि० रुद्रप्रयाग

वन् भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झुंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	-	1.4625 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	1.0350 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	2.4975 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल - 1.4625 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन
भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित
करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूची

क्र.	प्रपत्र	पृष्ठों
1	आवरण पृष्ठ	1-2
2	विषय सूची	3
3	फैट सीट	4-6
4	प्रतिवेदन	7
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश	8'-11
6	भारत सरकार के प्रपत्र	12-19
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट व प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	20-22
8	प्रमाणित वन मूमि का लैण्ड शैड्यूल	23
9	प्रमाणित वृक्षों के पातन की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	24-29
10	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र	30
11	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	31
12	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के थैमाने का मानचित्र	32-33
13	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना (पंचवर्षीय)	35-40
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र, काग्र योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	41-43
15	परियोजना का बार चार्ट	44
16	रिक्त पढ़े स्थान पर उद्यित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र	45
17	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रमाणित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र	46
18	प्रस्तावित परियोजना से प्रमाणित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	47
19	आम सभा का अनापाति प्रमाण-पत्र	48-49
20	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र	50
21	वैकल्पिक समरेखों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	51
22	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र	52
23	भू-वैज्ञानिक की आख्या	53-56
24	भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	57
25	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र	58
26	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र	59
27	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन मूमि की भाँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	60
28	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र	61
29	लमान्वित होने वाले ग्रामों/परिवर्गों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	62
30	दुर्बन्न अवनत वन मूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	63
31	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	64
32	वन मूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र	65
33	एनोटोडी जमा कराये जाने एवं मूल्य वृद्धि का प्रमाण-पत्र	66-68
34	लागत लान विशेषण प्रमाण-पत्र	69-71
35	प्रस्तावित स्थल विशेष होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र	72
36	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निरस्तारण की योजना	73-78
37	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण-पत्र	79-82
38	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र	83
39	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	84
40	जल विद्युत परियोजना हेतु कैवल्यमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	85
41	प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान एवं मदवार विवरण	86-88
42	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र	89
43	राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	90
44	रसोई गैस / कैरोसिन आपूर्ति का प्रमाण पत्र	91
45	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	92-96
46	विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र	97

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम :

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-दूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हैरो में) –

वन पंचायत भूमि	—	1.4625 हैरो
सिविल सौयम वन भूमि	—	0.0000 हैरो
आरक्षित वन भूमि	—	0.0000 हैरो
<u>निजी भूमि</u>	—	1.0350 हैरो
योग	—	2.4975 हैरो

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
3. वन प्रभाग का नाम – रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है – हाँ/नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हाँ/नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है – हाँ/नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हाँ/नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है – हाँ/नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हाँ/नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/नहीं
15. क्या माधित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ/नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /आस-पास रिक्त यहाँ एवं नहीं की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हाँ/नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र बन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य बन्ध जीव प्रतिपालका का प्रामाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं

23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं

24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय - हाँ/नहीं

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ/नहीं

26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण अधिक वृक्ष संग्रह के कारण,
रानी ग्रामपालन की असहमति के कारण,

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हाँ/नहीं

(5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है - हाँ/नहीं

29. मलबे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें - हाँ/नहीं

अथवा

मलबे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं - यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ/नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अधिका का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं


34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ/नहीं

35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

36. एनोपी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) - हाँ/नहीं
37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजारा सीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसारा खतौनी सहित संलग्न है - हाँ/नहीं
38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखाएं दर्शायी गयी हैं - हाँ/नहीं
41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रस्मोई गैस/मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है - हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नी०वि०
लद्धप्रयाग



प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

इस मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत 6985 / 111(2) / 10-18 (प्रा०आ०) / 10 टी०सी० दिनांक 03. 02.2011 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत ₹० 37.80 लाख प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न है।

यह मार्ग रुद्रप्रयाग-चोपड़ा-कुरझाण-काण्डई मोटर मार्ग के किमी० 15 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर ग्राम टेमना, झूंगी, पाली व सेमलसारी तक जायेगा। मार्ग के पारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी० आती है। मार्ग की संरेखण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत है। मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु यह वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के नव निर्माण में 1.4625 है० वन पंचायत भूमि एवं 1.0350 है० नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांवों के साथ-साथ ही लगभग 1000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः इस मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार-

वन पंचायत भूमि	-	1.4625 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	1.0350 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	2.4975 हेक्टेयर
 <u>वांछित क्षेत्रफल</u>	-	<u>1.4625 हेक्टेयर</u>

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का निरीक्षण भू-वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। आख्या प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 1.4625 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अधिकारी
प्रा० खण्ड ल००निर्वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अधिकारी
प्रा० खण्ड ल००निर्वि०
रुद्रप्रयाग

अधिकारी अधिकारी
प्रा० खण्ड ल००निर्वि०
रुद्रप्रयाग

परिशिष्ठ

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

जनपद रुद्रप्रयाग के विधायिका अगस्त्यमुनि में राज्य योजना योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झुंगी-चापड़ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वर्णों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

स्वीकृत लागत = रु 37.80 लाख मात्र।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित गांवों को जोड़ने हेतु एक मात्र विकल्प है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

0.002 लाख मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

1.4625 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।
0.0000 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।
0.0000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि
1.0350 हैक्टेयर निजी / नाप भूमि

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

- शून्य

ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या

- शून्य

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

- शून्य

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।
- नहीं
- संलग्न है।
- संलग्न है।

दिनांक 31/08/2014

स्थान - रुद्रप्रयाग



(ई० इन्द्रजीत जोसी)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० निवि०
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग— ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना / स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

जनपद रुद्रप्रयाग के विंखो जखोली में
राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा—दुंग्री—
चापड़ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रुद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रुद्रप्रयाग
iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	1.4625 हेक्टे
v)	वन की कानूनी स्थिति	1.4625 हेक्टे वन पंचायत भूमि 1.0350 हेक्टे नाप भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	0.0015 26.9 सूची में संलग्न है।
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफोआरोएलो — 8 मीटर पर परिणामना भी संलग्न किए जाए	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	1.00 किमी०
ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8—	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग— 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संरक्षित क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु द्व्यो संरेखण उपलब्ध है।
9—	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों एवं कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	लागू नहीं

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कायान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रभाग / जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
 - जिला का वन क्षेत्र।
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर
 - V तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी 0

1790.995 वर्ग किमी 0

580.852 ha.

727.29 ha. 145 मामले

X

X

727.29 ha. 145 मामले

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम

किशन - कुमार
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

दिनांक.....

स्थान—रुद्रप्रयाग

भाग—III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हों / नहीं) यदि हों तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

.....

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान—

सरकारी मोहर

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

.....

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17— राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग—II या भाग—III या
भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि : आदेशकालीन दिन या तारीख विवर का नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री कुलदीप सिंह पंवार वन दरोगा, श्री महावीर सिंह विष्ट वन रक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ओम प्रकाश चन्द्रा अवर सहायक अभियन्ता के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.0000 है, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.0000 है, वन पंचायत भूमि 1.4625 है एवं नाप भूमि 1.0350 है प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....


प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।



कानिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधि शासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


प्रतिक्रिति
प्रभावित वन
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग




उप उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

21

9
J1120141

<u>दृष्टि</u>	30-40	हाताल	—
<u>दृष्टि</u>	20-30	—	1
<u>दृष्टि</u>	10-20	—	5
<u>वर्णना</u>	20-30	—	2
<u>समल</u> -	30-40	—	2
<u>वर्णना</u>	20-30	—	1
<u>तन</u>	30-40	—	2
<u>तन</u>	20-30	—	1
<u>पोत</u>			<u>15 वर्ष</u>


बाबासाहेब आमेड़कर

मुख्यमंत्री
काशी प्रभान्तर
नव दिल्ली

ग्रामीण लिंग विवेद
लेन बहाक

**SITE INSPECTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **1.4625 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Chopra-Dungri-Chapar motor road**. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.4625 ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project. **NO**

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of : -

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important moniments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required : -

- a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place Rudraprayag
Date

Name (Kishan chand)
Designation Docto
Office Seal. प्रभागीय बनाधिकारी
रुद्रप्रयाग बन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

N.B. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
 out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंगी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

लैन्ड शेड्यूल (वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हेक्टर)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	00 मीटर	9 मीटर	0.000 (आरक्षित वन भूमि)


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
संभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये
(राजस्व विभाग) / जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	टिप्पणी
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	—	—	0.000	सिविल सोयम
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	987,990 995	1,462	1.462	वन पंचायत
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	—	—	1.035	नाप भूमि



उच्च प्रियजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

laghav
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

संख्या-

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग

दिनांकः

, 200

वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चौपड़ा-झंगी-चापड़ मोटर मार्ग और निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

हल्के वाहन मार्ग के मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु 1.4625 है। वन पंचायत भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई—

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

**प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय कस्ताधिकारी**

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


योजना का ... :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चौपडा—हूंगरी—चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


प्रभावित वृक्षों के वैज्ञानिक नाम

क्र0सं0	प्रजाति का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	2	3
1	चीड़	PINUS ROXBURGII
2	खैर	ACACIA CATECHU
3	सेमल	BOMBAX CEIBA
4	खडीक	CARPINUS VIMINEA
5	तुन	CABRELA TOONA


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०


रुद्रप्रयाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

योजना का नाम :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-हूंगरी-चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मार्ग पर पड़ने वाले बाधक वृक्षों की मूल्य गणना सूची

ब्रॉडकॉड	प्रजाति का नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशि रूपये
1	2	3	4	5	6
1	चीड़	30-40	1	2330.00	2330.00
		20-30	1	600.00	600.00
	खेर	10-20	5	240.00	1200.00
		20-30	2	4800.00	9600.00
	सेमल	30-40	2	11500.00	23000.00
		20-30	1	1160.00	1160.00
	खड़ीक	30-40	2	3000.00	6000.00
	तुन	20-30	1	1160.00	1160.00
		Total	15	Total	45050.00
		का 40% =			
				G. Total	

अनुसूचित दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु —

$$4 \text{ वर्षों में } \text{वृद्धि} \quad 10\% \times 4 = 40\%$$

वनक्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
राष्ट्रप्रधानमंत्री प्रभाग
संविधानसभा

पर्यावरण आवेदन प्रक्रिया— 411 / 0-4 / 23-2 नियंत्रक, पौष्टि 14 अप्रैल, 2013 का संलग्नक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौष्टि।

गढ़वाल वृत्त के अन्तर्गत वृक्षों की अनुसूचित दरें

व्यास सेमी में तथा वृक्षों की कीमत (रुपये में)

क्र.सं.	प्रजाति का नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपरी
1	हिन्दी / शान्तिय	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चीड़	Pinus roxburgii	90	240	600	2330	5070	8565	13200	18660	23860
1	कैल	Pinus wallichiana	105	375	1125	3660	6970	10490	14460	19385	24750
2	रई (स्प्रिंग), रामगा / मुरिङा / फर	Picea Smithiana / Abies pindrow /	105*	330	750	1912	3420	5390	7950	10950	14595
4	देवदार	Cedrus deodara	180	525	1200	4095	7930	12180	15640	20310	25245
5	सुरई	Cupressus torulosa	75	130	180	390	710	1150	1700	2500	35400
6	साल	Shorea robusta	90	330	4600	11880	23200	38600	45500	54600	60400
7	शीशम	Dalbergia sissoo	75	315	3600	9470	16400	20500	25800	42500	52400
8	सागोन	Tectona grandis	215	490	1920	5880	12910	28530	43240	60520	69190
9	असना / सेन	Terminalia tomentosa/ T. Elata	85	270	1330	3790	9510	14250	21600	34590	47550
10	युकेलिप्टस	Eucalyptus spp.	70	160	820	1900	2830	3790	4170	4590	5050
11	खेत्र	Acacia catechu	105	400	4800	11500	19050	28550	43250	47550	52320
12	जामुन	Syigizium cumini	75	190	1160	3320	4400	6480	9840	16250	20150
13	शहहतूर	Morus alba	40	70	450	1290	2550	3340	4530	5460	6510
14	धौड़ा, कन्जू, खरपत, थामन पुला, वोरंग, गाढ़ी, बीड़ा, टोगरिया,	Legerstroemia/ Holoptelia / Garuga/ Grewia	70	190	960	1900	3790	5710	6900	8640	12100
15	अखरेट	Juglans reg. a	75	190	960	1750	5710	6010	8640	12100	15910
16	उत्तीस / सिलवर ओक	Alnus nepalensis / Gravilea robusta	100	160	330	550	1120	2200	3030	3900	4320
17	पहाड़ी पीपल	Populus ciliata	100	160	250	520	990	1900	2730	3510	3850

प्रत्याय

280

•

क्र. नं.	निवासी / वसाही	प्रमाणित का गति	प्राकृतिक गति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 वे ऊपरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	अग्रे	Fraxinus	100	160	390	850	1980	3330	4680	6780	8490	9340	
19	कार्टूल (काँचुल)	Acer caesium	160	450	1170	2700	4530	6670	9060	12100	16630	20470	
20	कोता, खारसी	Machilus odoratissima / Swida macrophylla	40	70	160	390	600	850	1140	1590	2100	2460	
21	खसू	Quercus semicarpifolia	40	130	210	450	970	1650	2400	3300	4390	5600	
22	बाल्डचेरी	—	100	220	450	610	1510	1980	3030	4260	5340	5880	
23	तुन, हल्दू सेमल, बांकुली (धोड़ी), आम	Cedrela toona / Haldinia cordifolia / Bombax ceiba / Anogeissus latifolia / Mangifera indica	75	190	1160	3320	4750	8550	10380	14860	20150	24450	
24	चमखड़ीक	Carpinus viminea	190	550	1510	3000	6670	11650	18730	24190	37840	41620	
25	थुरें	Taxus baccata	70	140	220	520	990	2010	2730	3780	4150	6060	
26	पांगर	Aesculus indica	30	145	245	565	1095	2050	2930	3800	4190	4590	
27	पापड़ी	Buxus wallichiana	80	355	920	1630	2125	2480	2580	2640	2900	3200	
28	बांज तथा हरीज	Quercus leucotrichophora	50	145	225	485	1050	1770	2580	3540	4700	6000	
29	भोज	Betula utilis	80	145	210	355	595	1015	1770	2480	3410	3750	
30	भोटिया वादाम	Corylus colurna	48	145	242	483	1095	2061	2930	3703	4073	4492	
31	मोरु / तिलांज	Quercus himalayana / Q floribunda	48	145	483	676	1095	1948	2640	3542	4411	5732	
32	सौंझी (तर्ज)	Elaeodendron glaucum	70	140	450	630	1350	2850	3750	5100	5460	6060	

(29)

Q. 28

८१

प्रजाति का नाम		व्यास सेमी में तथा वृक्षों की कीमत (रुपये में)										
क्र.सं.	हिन्दी / स्थानीय	वनस्पतिक नाम	०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	९० से ऊपर
1	2	Alnus wallichiana / Melia azedarach	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	हिमरी / बकेन	Quercus lanuginosa Rhododendron / Andromeda	48	145	225	354	596	1030	1771	2737	3413	3751
34	रियाज, बुरांश, अंयार तथा अन्य विविध प्रजाति		50	80	160	390	630	780	1020	1230	1500	1800

1. बांस – 32.00 (लीस रूपये) प्रति बांस
 2. रिगाल – 80.00 (अखरी रूपये) प्रति गड्ढी एवं एक गड्ढी = 100 रिगाल

3. बोल्डर पत्थर – 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति धन मीटर

4. बजरी तथा रेत – 150.00 (एक सौ पचास रूपये) प्रति धन मीटर

5. स्लेट (पठाल) – 100 (एक सौ रुपये) प्रति वर्ग मीटर

नोट:- 1. यदि किसी प्रजाति की अनुसूचित दरें उपरोक्त तालिका में अंकित नहीं हैं तो ऐसी शिथि में यमुना / शिवालिक / भागीरथी वृक्षों की अनुसूचित दरों की तालिका का संज्ञान लिया जा सकेगा। यदि इन तालिकाओं में भी उक्त प्रजाति अंकित नहीं है तो दर निर्धारण हेतु मामला वन संरक्षक, गढ़वाल वृक्ष को संदर्भित किया जायेगा।

2. अवैध पातन के मामलों में सभी वृक्ष हरे एवं ठोस (खैर के मामले में योग्य) माने जायेंगे तथा तदनुसार ही वृक्षों का मूल्यांकन किया जायेगा।

3. जिन कोमल काल्प की दरें उपरोक्त तालिका में दी गई हैं, उनका औद्योगिक आबंटन होने की दशा में दरें शासन द्वारा निर्धारित की जानी हैं।

4. सूखे, ठोस, योग्य व आयोग्य वृक्षों के लिए आयतन एवं मूल्य निर्धारण मुख्य वन संरक्षक, (वन प्रबन्धन) उत्तर प्रदेश नैनीताल के पत्रांक 1312 / 3-7-3 (ग्रामकालन)

१४४८/१
(बीपीओगुरु)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृक्ष, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी)

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

क्र सं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	अगस्त्य मुनि	बांज											

उपरोक्तानुसार गणना किये गये कोई भी बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिनका कि पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त पौड़ी

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन निर्भित होने वाले जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-झूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग, वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेज
(रुद्रप्रयाग)

Rm/
प्रभागीय वनाधिकारी
राष्ट्रीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग